

बिहार सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं क ल प

विषय :- बिहार भवन/बिहार निवास में स्टाफ कार आवंटन के संबंध में।

बिहार भवन/बिहार निवास में कमरों के आरक्षण के साथ-साथ स्टाफ कार के आवंटन संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (तत्कालीन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग) के संकल्प संख्या-343 दिनांक-31.03.1997 द्वारा मार्गदर्शन सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं। उक्त संकल्प की कांडिका-7 में बिहार भवन/बिहार निवास में स्टार कार के आवंटन के संबंध में उल्लिखित मार्गदर्शन सिद्धान्त को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्टाफ कार के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिए गए हैं:-

- (i) सरकारी प्रयोजन से दिल्ली की यात्रा के दौरान वैसे महानुभावों, जिन्हें वाहन अनुमान्य है, के लिए वाहन का उपयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुमान्य होगा।
- (ii) ऐसे महानुभावों के लिए गैर सरकारी प्रयोजन पर दिल्ली भ्रमण के दौरान उपलब्धता के आधार पर निजी उपयोग के लिए वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दर पर वाहन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- (iii) ऐसे महानुभावों के राज्य सरकार की स्वीकृति से चिकित्सा हेतु दिल्ली भ्रमण के दौरान चिकित्सा प्रयोजन हेतु निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iv) विधान सभा/विधान परिषद की सभितियों के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर स्थानिक आयुक्त द्वारा भुगतान के आधार पर भाड़े के वाहन की व्यवस्था की जाएगी।
- (v) विशेष परिस्थिति में प्रोटोकॉल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अथवा स्थानिक आयुक्त के आदेश से अन्य महानुभावों को निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के उपर्युक्त प्रार्सगिक संकल्प के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बिहार गजट में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित कर दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

३/२५.७.१२
(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - ए०/वि-०५-१०१०/२००११ १५३ पटना-१५, दिनांक २६ जुलाई, २०१२
प्रतिलिपि - माहलेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३/२५.८.१२
(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – ए०/वि-०५-१०१०/२००११ पटना-१५, दिनांक जुलाई, २०१२

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/सभी राज्य मंत्रियों के आप्त सचिव/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार विधान सभा/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२) २५.७.१२

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – ए०/वि-०५-१०१०/२००११ पटना-१५, दिनांक जुलाई, २०१२

प्रतिलिपि – स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य प्रशासी पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली/लेखा पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३) २५.७.१२

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव